प्रसादी लाल बनाम सरकार
मुकदमा संख्या—03/70/2021
निर्णय दिनांक—29.10.2025

सत्यमेव जयते

# न्यायालय

## उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ़ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/70/2021 ऑन लाईन नम्बरः–2021/303 प्रवेश तिथिः–30.09.2021

1. प्रसादी लाल मीना पुत्र बीरबल मीना जाति मीना निवासी लाकावास तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।
2. सेढूराम पुत्र बीरबल मीना जाति मीना निवासी लाकावास तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।
3. तोपली बेवा बीरबल मीना जाति मीना निवासी लाकावास तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर। ............प्रार्थीगण

बनाम्

1. तहसीलदार राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर

..............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री धर्मेन्द सिंह जैसावत एड0–प्रार्थी

–:निर्णयः– दिनांक 29.10.2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 527/0.07, 475/0.08, 487/0.17, है वाके ग्राम नांगल चन्देल तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर व खसरा संख्या 149/0.25, 3/0.13, 4/0.02 वाके ग्राम लाकावास तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थीगणा को उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई थी। तथा उक्त आराजी प्रार्थीगण की पैत्रिक आराजी है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति के भाई का नाम **गोरधन पुत्र हरदेवा** की जगह सहवन से **मेदा पुत्र हरदेवा** दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण के पिता व पति के भाई का नाम अन्य रिकार्ड में **गोरधन पुत्र हरदेवा** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पिता व पति के भाई का नाम **गोरधन पुत्र हरदेवा** दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टहला से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टहला के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2022/3786 दिनांक 31.10.2022 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार टहला की रिपोर्ट से साबित है कि **गोरधन पुत्र हरदेवा** व **मेदा पुत्र हरदेवा** एक ही

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

चित है। जिसका सही नाम **गोरधन पुत्र हरदेवा** होना बताया गया। तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता व पति के भाई का नाम **गोरधन पुत्र हरदेवा** की जगह सहवन से **मेदा पुत्र** दर्ज कर रखा है उसके स्थान पर प्रार्थीगण के पिता व पति के भाई का नाम **गोरधन पुत्र हरदेवा** दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 527/0.07, 475/0.08, 487/0.17, है वाके ग्राम नांगल चन्देल तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर व खसरा संख्या 149/0.25, 3/0.13, 4/0.02 वाके ग्राम लाकावास तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति के भाई का नाम **गोरधन पुत्र हरदेवा** की जगह सहवन से **मेदा पुत्र** हरदेवा दर्ज कर दिया। जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार टहला की रिपोर्ट दिनांक 31.10.2022 का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

*आदेश है कि*

*प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956* आराजी खसरा नम्बर 527/0.07, 475/0.08, 487/0.17, है वाके ग्राम नांगल चन्देल तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर व खसरा संख्या 149/0.25, 3/0.13, 4/0.02 वाके ग्राम लाकावास तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला *जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार टहला को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति के भाई का नाम मेदा पुत्र हरदेवा दर्ज है उसके स्थान पर मेदा उर्फ गोरधन पुत्र हरदेवा दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।*

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते